न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

गोपाल व अन्य बनाम अमरचंद व अन्य

Online No. 2022/518

मुकदमा 361/2022

धारा 111—128 एल0आर0ए

04.10.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 361 /2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री गोपाल पुत्र श्री सोहनदास बैरागी,
2. श्रीमती कमला पुत्री श्री सोहनदास बैरागी
   निवासीयान छापरी तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री अमरचंद पुत्र श्री बालू जाट,
2. जमना पुत्र श्री बालू जाट,
3. श्री देवी पुत्र श्री बालू जाट,
4. श्री प्रभु पुत्र श्री बालू जाट,
5. श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री रतनलाल खटीक,
6. श्री शिवलाल पुत्र जमनालाल जाट,
   निवासीयान छापरी तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
7. श्री बरदी पत्नी श्री भगवान गाडरी, निवासी रेगर मोहल्ला, धुमडास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा–राज0
8. श्री रामदेव पुत्र हीरा गाडरी,
9. नन्दू पुत्री श्री अमरचंद जाट
10. भागुती पुत्री श्री अमरचंद जाट,
11. शंकर पुत्र अमरचंद जाट,
12. अमरचंद पुत्र श्री रामा जाट,
13. तेजा पुत्र रामा जाट,
14. बालू पुत्र श्री धीरा गाडरी,
15. मूली पुत्री कल्याण जाट,
16. हजारी पुत्र धीरा गाडरी,
17. माधू पुत्र बालूलाल गाडरी,
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा
    निवासीयान छापरी खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 0[illegible].10.2022

उपस्थित–1– शंभूदास वैष्णव – प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम छापरी पटवार हल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी सं. 345/3 रकबा 0.1644 हैक्टेयर एवं आराजी सं. 349/1 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.3920 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। सम्मन बाद तामील प्राप्त नही हुए। विपक्षी संख्या 18 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम छापरी पटवार हल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी सं. 345/3 रकबा 0.1644 हैक्टेयर एवं आराजी सं. 349/1 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.3920 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर खातेदार हैं। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम छापरी पटवार हल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी सं. 345/3 रकबा 0.1644 हैक्टेयर एवं आराजी सं. 349/1 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.3920 हैक्टेयर सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 100/– रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक सांगानेर 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 सांगानेर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा